कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव (बस्तर) छ0ग0

क्रमांक/पुअ./कोण्डा./एसी/ m-370 /2016 दिनांक 28/01/2016

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल
कोण्डागांव

विषयः- हेलीपेड हेतु 5.000 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में आनलाईन पंजीयन के संबंध में।

संदर्भः- पत्र क्र0 मा0चि0/673 कोण्डागांव 14.01.2016 प्रकरण क्र. FP/CG/Other/8989/2014

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला कोण्डागांव में हेलीपेड निर्माण हेतु वन भूमि कक्ष क0 पी 773 मे से 5.000 हेक्टेयर भूमि हेतु इस कार्यालय द्वारा आनलाईन पंजीयन किया जा रहा है जिसमें नोडल कार्यालय द्वारा आपत्ति की गई है । उक्त आपत्ति के निराकरण की जानकारी चाही गई है जो निम्नानुसार हैः-

1- Will there be any use of Forest land other than this while approaching the site and if so the same be added in the land diversion proposal. No passage will be allowed from the forest land.

- NH 30 एवं हेलीपेड हेतु प्रस्तावित भूमि के बीच 12 हेक्टेयर भूमि पुलिस आवास, पुलिस लाईन एवं एसटीएफ हब के लिए प्रस्तावित है, जिसमें प्रथम चरण की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्राप्त हो गई है ।

2- The classification of forest i.e whether Reserve, Protected or Revenue Forest with area be given.

- Protected Forest है। वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

3- For Helipad 5 Ha. Land cannot be given why cannot this be combined with Police line proposal FP/CG/Other/11828/2015 ?

- जिला कोण्डागांव अति नक्सल संवेदनशील क्षेत्र है। भारतीय वायुसेना मुख्यालय रायपुर द्वारा जिला मुख्यालय एवं अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित हेलीपेड्स को नाईट लैंडिग के 15 मानक बिन्दुओं (हेलीपेड की साईज 75x35 मीटर, 500-500 मीटर फनल एरिया आदि) के आधार पर तैयार किये जाने निर्देशित किया गया है **(सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न)**। हेलीकॉप्टर सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित थाना/कैंपों में लॉजिस्टिक सप्लाई तथा casualty evacuation हेतु एक प्रमुख माध्यम है । पूर्व में नक्सलियों द्वारा अनेक अवसरों पर हेलीकॉप्टरों को टारगेट कर क्षति पहुंचाई गई है । तद्नुसार पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा हेलीकॉटर के उड़ान एवं लैंडिंग के समय हेलीपेड की सुरक्षा के संबंध में एस.ओ.पी. एवं दिशा निर्देश जारी किये गये है । अतएव सुरक्षा एवं नक्सल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाईन में ही हेलीपेड तथा नाईट लैंडिंग हेलीपेड का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है ।

4- Upload Scan copy of the Demand Drafts for Registration and prosessing fee be enclosed in post name of Divisional Forest Officer concerned.

– संलग्न है ।

संलग्नः-पंजीयन हेतु ऑनलाईन अपलोड किये फाईलों की
सॉफ्ट कॉपी सीडी 01 नग एवं उपरोक्तानुसार।

पुलिस अधीक्षक
जिला कोण्डागांव

पृ. क्रमांक/पुअ./कोण्डा./एसी/ m-370-A/2016, दिनांक 28/01/2016

प्रतिलिपिः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
2. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. उप पुलिस महानिरिक्षक विशेष आसूचना शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. टास्क फोर्स कमांडर आई0ए0एफ0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ
6. कलेक्टर जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ।
7. उप वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ ।

पुलिस अधीक्षक
जिला कोण्डागांव